संख्या-123/18-4-2018-18(विविध)/17टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय
उ0प्र0, कानपुर।

2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।

4.अपर आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0
लखनऊ।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग- 4 लखनऊ :दिनांक 25 जनवरी,2018

विषयः "एक जनपद एक उत्पाद" योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विशिष्ट उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग के प्राथमिक उद्देश्य के साथ-साथ रोजगार सृजन, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी सामर्थ्य के विकास, तकनीकी उन्नयन, कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों के कौशल विकास तथा ग्रामीण सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा हस्तशिल्पी इकाइयों के उपयोगार्थ कामन फैसिलिटी सेन्टर, टेस्टिंग लैब, डिजायन स्टूडियो, एक्जीबीशन कम व्यापार केन्द्रों जैसी महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं इन सबके माध्यम से प्रदेश के समेकित विकास हेतु "एक जनपद एक उत्पाद" के नाम से नई योजना निम्नांकित मार्गदर्शक सिद्वान्तों के अधीन प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) "एक जनपद एक उत्पाद" योजनान्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद से एक उत्पाद विशेष का चिन्हांकन सम्बन्धित उत्पाद की विशिष्टता, विपणन सामर्थ्य, विकास सम्भाव्यता तथा रोजगार सृजनशीलता के आधार पर किया जायेगा तथा जनपदवार उपलब्ध संसाधनों जैसे रॉ-मैटेरियल, डिजाइन, टेस्टिंग, ट्रेनिंग एवं डिस्पले एवं मार्केटिंग से सम्बन्धित सुविधाओं की मैपिंग करते हुए "SWOT" व गैप एनालिसिस के आधार पर क्रियान्वयन रणनीति तैयार की जायेगी।

(2) "एक जनपद एक उत्पाद" को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में लोकप्रिय बनाने एवं प्रतिष्ठित करने हेतु लोगो 'LOGO' विकसित किया जायेगा।

(3) योजनान्तर्गत स्थापित होने वाली नई इकाइयों एवं एककों हेतु वित्त पोषण केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैण्ड अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आदि से डबटेलिंग के माध्यम से कराया जायेगा तथा इस हेतु योजना का क्रियान्वयन करने वाले विभाग, संस्थागत वित्त विभाग, एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जायेगा। व्यावसायिक बैंकों द्वारा उक्त योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले वित्त-पोषण में "एक जनपद एक उत्पाद" योजना से आच्छादित प्रस्तावों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(4) "एक जनपद एक उत्पाद" योजनान्तर्गत स्थापित एवं स्थापित होने वाली नई इकाईयों/संस्थाओं हेतु आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं जैसे कॉमन फैसिलिटी सेन्टर, कॉमन प्रोसेसिंग/प्रोडक्शन सेन्टर डिजाइन स्टूडियो, टेस्टिंग लैब, पैकेजिंग लेबलिंग, डिस्प्ले/ एक्जीवीसन तथा व्यापार सुविधा केन्द्रों व अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास भी केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे क्लस्टर विकास योजना, मेगा क्लस्टर योजना, ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम तथा उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना विकास योजना जैसी योजनाओं से डबटेलिंग करते हुए किया जायेगा। इसके साथ ही अवस्थापना विकास से सम्बन्धित केन्द्र एवं राज्यों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु आवश्यकतानुसार, राज्यांश अथवा वाइबिलिटी गैप फंडिंग का वित्त पोषण उक्त योजनान्तर्गत किया जायेगा। "एक जनपद एक उत्पाद" योजनान्तर्गत राज्यांश अथवा वाइबिलिटी गैप फंडिंग सम्बन्धित योजना की गाइडलाइन्स के अनुरूप निर्धारित की जायेगी। एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत चयनित उत्पाद के विकास हेतु सामूहिक/सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जायेगा। सहकारी संस्थायें, स्वयं सहायता समूह, प्रोड्यूसर कम्पनियाँ जो कि विशिष्ट प्रयोजन हेतु ही गठित की गई हों एवम जिनकी सदस्यता का व्यापक आधार हो, को निजी सहभागिता पर आधारित अवस्थापना सुविधाओं के विकास में प्राथमिकता दी जायेगी।

(5) सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण हेतु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, उद्यमिता विकास संस्थान एवं उ0प्र0 इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उपयोग किया जायेगा तथा इन संस्थानों द्वारा यथावश्यक प्रचलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को योजना की आवश्यकता के अनुरूप नये सिरे से डिजाइन किया जायेगा। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन पर

आने वाले व्ययों को डबटेलिंग के माध्यम से केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत वहन किया जायेगा तथा जहां कहीं डबटेलिंग सम्भव नहीं होगी वहां पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन पर आने वाले व्यय को उक्त योजनान्तर्गत वहन किया जायेगा।

(6) वर्ष में एक बार ओ0डी0ओ0पी0 सप्ताह मनाया जायेगा जिसमें जनपद, मंडल एवं राज्य स्तर पर प्रदर्शनियों, ट्रेड फेयर्स, सेमिनार्स एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनियों, ट्रेड फेयर्स, सेमिनार्स एवं कार्यशालाओं का आयोजन आवश्यकतानुरूप वर्ष-पर्यन्त किया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त जनपद हेतु चिन्हित उत्पाद विशेष का आयात/उपभोग करने वाले राज्यों/राष्ट्रों की मांग, उपभोग प्रवृत्ति, टेस्ट, ट्रेन्ड, फैशन एवम् डिजायन आदि से एक्सपोजर कराये जाने तथा अध्ययन एवम् विश्लेषण हेतु सम्बन्धित उत्पाद के कारीगरों, हस्तशिल्पियों एवं उद्यमियों के प्रतिनिधि मण्डलों को नियमित रूप से भेजा जायेगा। इसी प्रकार "एक जनपद एक उत्पाद" योजनान्तर्गत जनपद हेतु चिन्हित उत्पाद या उससे मिलते-जुलते उत्पादों का उत्पादन कर रहें प्रतिस्पर्धी राज्यों/राष्ट्रों की उत्पादन प्रणालियों, विपणन रणनीतियों, प्रयोग में लाया जा रहा कच्चा माल एवम् उसकी गुणवत्ता आदि से एक्सपोजर, अध्ययन एवम् विश्लेषण हेतु सम्बन्धित उत्पाद के कारीगरों, हस्तशिल्पियों एवं उद्यमियों के प्रतिनिधि मण्डलों को नियमित रूप से भेजा जायेगा।

(7) योजनान्तर्गत उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी सामर्थ्य के विकास हेतु उत्पादन तकनीक/प्रणाली में उन्नयन अथवा सुधार केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य पारस्परिक समन्वय एवं उनके द्वारा संचालित योजनाओं से डबटेलिंग के माध्यम से किया जायेगा। यदि किसी जनपद हेतु इस दिशा में किन्ही ऐसे विशेष प्रयासो की आवश्यकता होगी, जिनका आच्छादन प्रचलित योजनाओं से सम्भव न हो तो, इस हेतु योजनान्तर्गत अलग से विशिष्ट प्राविधान किये जा सकेंगें।

(8) "एक जनपद एक उत्पाद" हेतु विपणन सुविधाओं हेतु प्रदेश में उपलब्ध प्रमुख एक्सपो मार्ट एवं प्रदर्शनी स्थलों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा तथा एक्सपो मार्ट नोएडा व अवध शिल्प ग्राम को "एक जनपद एक उत्पाद" योजनान्तर्गत एक्जीवीशन कम ट्रेड सेन्टर्स के रूप में उपयोग मे लाया जायेगा। योजनान्तर्गत विपणन सुविधाओं के विकास हेतु समस्त विशिष्टियों से युक्त एक ई-पोर्टल का विकास कराया जायेगा। साथ ही ई-मार्केटिंग के अन्य पोर्टल/साइट्स के माध्यम से उत्पादों के मार्केटिंग हेतु उत्पादक इकाइयों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(9) "एक जनपद एक उत्पाद" को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण, उ0प्र0 इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एवं उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों एवं मेलों में प्रतिभाग सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया जायेगा तथा इस हेतु निर्यात भवन, लखनऊ में अलग से एक ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी। यह प्रकोष्ठ अपर आयुक्त निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के दिशा निर्देशन एवं प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन/निर्यात आयुक्त के नियन्त्रणाधीन कार्य करेगा।

(11) योजना का अनुश्रवण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मासिक आधार पर, राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन की अध्यक्षता में प्रति दो माह में एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति द्वारा त्रै-मासिक आधार पर किया जायेगा।

(12) "एक जनपद एक उत्पाद" योजनान्तर्गत समस्त आवश्यक सुविधाएं एवं सहयोग हित धारकों को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाना सम्बन्धित योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले विभागों तथा वित्त पोषण करने वाली संस्थाओं के लिये बाध्यकारी होगा।

(13) सम्बन्धित विभागों द्वारा ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ तथा योजना के अनुश्रवण हेतु विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों द्वारा लिये गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुपालन आख्या/मासिक प्रगति विवरण सम्बन्धित विभागों के राज्य स्तरीय कार्यालयों द्वारा ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ को तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों द्वारा जनपद स्तर पर योजना के नोडल अधिकारी उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) योजना के सुचारू तथा सफल क्रियान्वयन हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी, उत्पादकों की जिज्ञासाओं के समाधान, परामर्श, उत्पादन-तकनीक, प्रशिक्षण, मार्केटिंग आदि से सम्बन्धित समस्त जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु एक वेब पोर्टल/हेल्पलाइन का विकास किया जायेगा तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष टेक्निकल, रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के नेटवर्क को डेवलप करके इस पोर्टल से जोड़ा जायेगा ताकि सम्बन्धित क्षेत्र में हुए नए आविष्कारों के लाभों को व्यावहारिक रूप में उत्पादकों तक पहुँचाया जा सके।

(15) योजना के क्रियान्वयन हेतु बजटीय सहायता निर्यात आयुक्त के माध्यम से ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायी जायेगी।

(16) योजना के क्रियान्वयन हेतु बनाये जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं इससे सम्बन्धित प्राविधानों में संशोधन, परिमार्जन तथा स्पष्टीकरण मा0 मुख्यमंत्री जी की अनुमति से किया जा सकेगा।

(17) उ0प्र0 दिवस के अवसर पर दिनांक 24, 25 एवं 26 जनवरी, 2018 को आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के साथ ही प्रत्येक उत्पाद से सम्बन्धित दुकान, अवध शिल्प ग्राम में प्रदेश स्तरीय विपणन केन्द्र में प्रारम्भ करायी जायेगी, जो वर्ष पर्यन्त विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप संचालित करायी जायेगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
25.1.2018
(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-123(1)/18-4-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,आवास उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, संस्कृति, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, न्याय उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(पन्ना लाल)
उप सचिव।